न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर॰ए॰एस॰)

जीसीएमएस नं. 2024/551
मुकदमा नम्बर 208/2024 दावा दर्ज दिनांक–02.12.2024

1. अम्बालाल पुत्र उदाराम
2. मनफुल पुत्र उदाराम
3. राजेन्द्र पुत्र उदाराम
4. निर्मल पुत्र उदाराम
5. तारामणी पुत्री उदाराम समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम ढाका की ढाणी तन ढाणियां नवलगढ तहसील नवलगढ, जिला झुझुनूं

–वादी

बनाम

1. हेमाराम पुत्र गोदूराम
2. जगदीश प्रसाद पुत्र गणेशाराम समस्त जाति जाट निवासी ढाका की ढाणी तन ढाणियां नवलगढ तहसील नवलगढ जिला झुझुंनू
3. रामस्वरूप पुत्र रामवतार
4. गणेश पुत्र रामवतार समस्त जाति कुम्हार निवासीगण ग्राम ढाका की ढाणी तन ढाणिया नवलगढ तहसील नवलगढ जिला झुझुंनू
5. अधिशांषी अधिकारी नगर पालिका नवलगढ तहसील नवलंगढ
6. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार नवलगढ, तहसील नवलगढ, जिला झुझुंनू

–प्रतिवादी

दावा घोषणार्थ व स्थाई निषेधज्ञा

वकील वादी : – श्री शिशुपाल सिंह कुलहरी
वकील प्रतिवादी1 लगा. 4 :– श्रीमती स्नेहलता वर्मा
वकील प्रतिवादी सं. 5:– श्री सम्पत सिह
प्रतिवादी सं. 6 :– पैरो. राज.

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

:: निर्णय :: निर्णय दिनांक 01.07.2025

वादी वादी इस कदर पेश किया गया कि, राजस्व ग्राम नवलगढ पटवार हल्का नवलगढ की सरहद में स्थित भूमि खसरा नं. 1786 रकबा 0.58 है0 के सबंध में वादीगण को सुने बिना वादीगण की खातेदारी की भूमि को गलत रूप से प्रतिवादी सं. 5 द्वारा पुर्नग्रहित कर राजस्व रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज करवाया है को वादी के हक अधिकारों पर शुन्य व अवैध निष्प्रभावी घोषित किया जाकर विवादित भूमि खसरा नं. 1786 रकबा 0.58 है. के राजस्व रिकॉर्ड से प्रतिवादी सं. 5 का नाम हजफ किया जाकर विवादित भूमि में खसरा नं. 1786 रकबा 0.58 है0 में वादीगण को 0.370034 है0 का , प्रतिवादी सं. 2 को 0.193333 है0 का, प्रतिवादी सं. 3 व 4 को 0.016600 है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा घोषित खातेदारी के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावे।

विवादित भूमि का वादीगण व प्रतिवादी सं. 2 व 3,4 के मध्य घोषित खातेदारी के अनुसार सही नाम जोख करके विधिवत विभाजन किया जावे।

विवादित खसरा नं. 1786 रकबा 0.58 है0 के सम्बन्ध में प्रतिवादीगण सं. 1 व 5 को स्थाई निषेधज्ञा से पांबन्द फरमाया जावें कि, प्रतिवादीगण विवादित भूमि को खुर्द बुर्द नही करे, वादीगण के कब्जे काश्त मे किसी प्रकार की दखलदाजी पैदा नही करे, गलत राजस्व रिकार्ड के आधार पर वादीगण को बेदखल नही करे, ना ही विवादित भूमि पर स्वय या अन्य किसी प्रकार की कोई अवेधानिक कार्यवाही को अन्जाम देवे।

वाद वादी पेश होने पर तलबी प्रतिवादीगण की जारी की गई। प्रतिवादी सं. 1 लगायत 4 की और से जरिये वकील इकबालिया जवाब दावा पेश किया गया। प्रतिवादी सं. 5 की बार-बार अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी सं. 6 की और से पैरो. राज. उपस्थित। तहसीलदार नवलगढ कि और से कोई जवाब पेश नही किया गया। इसलिये प्रतिवादी सं. 6 का जवाब दावा बन्द किया जाता है। अधिशांषी अधिकारी नगर पालिका नवलगढ से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिसके अनुसार पत्रांक 686 दिनांक 28.05.2025 से रिपोर्ट पेश हुई।

बहस एक पक्षीय पेश होने पर बगौर सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तोजों का अवलोकन किया गया। वकील वादी ने अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रा.0 पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

विद्वान वकुल वादी द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अधिशांषी अधिकारी नगर पालिका नवलगढ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट क्रमांक 686 दिनांक 28.05.2025 का भी अवलोकन किया गया।जिसके अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 क के अधीन भूमि का गैर कृषि प्रयोजनार्थ 90 क की कार्यवाही की गई है। अब चूकी प्रकरण में 90 क की कार्यवाही की जा चूकी है

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

तथा 90 क के तहत किसी भी कार्यवाही हेतु अपीलीय प्रावधान निहीत है। इसलिये इस सम्बन्ध में जरिये वाद द्वारा अनुतोष इस न्यायालय से प्राप्त नही किया जा सकता है। वादी किसी 90 क के आदेश व्यथित है तो प्रथक से अपीलीय प्रावधानों के तहत अनुतोष हेतु चाराजोही सक्षम न्यायालय में कर सकता है। वाद वादी पोषणीय व न्योयोचित नही होने से खारीज योग्य है।

लिहाजा वाद वादी पोषणीय व न्यायोचित नही होने से खारीज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 01.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
जिला–झुझुंनू

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी नवलगढ मुकाम बईजलास नवलगढ

श्री जय सिंह (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ.

जीसीएमएस नं. 2024 / 551

मुकदमा नम्बर 208 / 2024 दावा दर्ज दिनांक–02.12.2024

(अम्बालाल वगै0 बनाम हेमाराम वगै0)

दावा घोषणार्थ व स्थाई निषेधज्ञा

(डिकी)

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू श्री जय सिंह (आर0ए0एस0),उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ बहाजिरी. वकील वादीगण मनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब– मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है।

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 क के अधीन भूमि का गैर कृषि प्रयोजनार्थ 90 क की कार्यवाही की गई है। अब चूकी प्रकरण में 90 क की कार्यवाही की जा चूकी है तथा 90 क के तहत किसी भी कार्यवाही हेतु अपीलीय प्रावधान निहीत है। इसलिये इस सम्बन्ध में जरिये वाद द्वारा अनुतोष इस न्यायालय से प्राप्त नही किया जा सकता है। वादी किसी 90 क के आदेश व्यथित है तो प्रथक से अपीलीय प्रावधानों के तहत अनुतोष हेतु चाराजोही सक्षम न्यायालय में कर सकता है। वाद वादी पोषणीय व न्योयोचित नही होने से खारीज योग्य है।

लिहाजा वाद वादी पोषणीय व न्यायोचित नही होने से खारीज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 01.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जन..........–.............. मुबलिग..........–...........बाबत.....–...........खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह.....–............फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....–.............का अदा करे।

बस्वत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख. 01 माह 07 सन 2025 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	01.00	स्टाम्प वकालतनामा	1.00

स्टाम्प वजह सबूत	—	स्टाम्प अर्जी	—
महनताना वकील	—	महनताना वकील	—
खर्चा गवाहान	—	खर्चा गवाहान	—
फीस कमिश्नर	—	फीस कमिश्नर	—
बाबत इजराय हुक्मनामा	—	बाबत इजराय हुक्मनामा	—
मुतफरिक मिजान	0.00	मुतफरिक मिजान	0.00